

नियमित किया जाए। मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन किया जाए। किसी रेल कर्मचारी से आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। रेलों का प्रबन्ध स्वायत्त निकाय को सौंपा जाए। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि की जाए। सेवा में सभी रिक्तियों को भरा जाए। क्वार्टरों के निर्माण हेतु अधिक राशि खर्च की जाए।

सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह बिना किसी और अगर मगर के और टाक्षमटोल की नीति को त्याग कर रेल मजदूरी की उक्त मांगों को स्वीकार कर उनके असन्तोष को दूर करे ताकि मजदूर संघर्ष के रास्ते पर जाने को विवश न हों।

(xvii) Exorbitant escalation of rents demanded by Bombay Port Trust.

SHRI RATANSINGH RAJDA (Bombay South) : Bombay Port Trust is the biggest landlord owning 1800 acres of land in the City of Bombay. Several principal commodity markets such as grain, timber, iron, steel, charcoal, coal, tiles, cotton, sand-lime exist on these lands since generations on monthly tenancy or 15 monthly leases, the rent whereof was revised periodically aggregating about ten times the original rent.

Recently, B.P.T. has demanded escalation of rent amounting to 1000 to 1200 per cent. This exorbitant demand has greatly perturbed and jolted the tenants.

It is worth nothing that government or semi-government departments like Food Corporation, Indian Oil, Defence and Bombay Municipal Corporation have refused to accept such excessive increasement of rent.

If this highly exorbitant rent is imposed taking advantage of non-application of the Rent Act, to B.P.T. lands, the entire trade infrastructure, the backbone of commercial activities in Bombay will come to standstill and thousands of people would be thrown out of jobs.

This exorbitant increment of rent to 1000 to 1200 per cent is not only unjust but it is reckless, arbitrary, atrocious and monstrous also unheard of in any civilised society. Central Government must behave as an ideal landlord, if they exploit the helplessness of common man what remedy lies for common

citizens. Let us not push the citizens with ther their backs to the wall. It is high time the Central Government reconsider the decision regarding ill-adise dvincrement of rent.

(xviii) Need for development of areas under Machhlishahr Constituency of Uttar Pradesh.

श्री शिवशरण वर्मा (मछलीशहर) : मान्यवर, मैं आप के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जौनपुर तहसील शाहगंज व मछली शहर के ब्लाक तथा प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के सभी ब्लाक क्षेत्र कभी देवी आपदाओं से वंचित नहीं रहते। इन छात्रों की प्राकृतिक स्थिति भी बड़ी बिबक्षण तथा विडम्बनापूर्ण है। अधिकारियों को इन क्षेत्रों की स्थिति की पूर्ण जानकारी है। इसके बावजूद भी ये सभी क्षेत्र आज तक उपेक्षित हैं। इस वर्ष सभी क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में रहे। ओला-पाला तथा सूखे के कारण लगभग 60 प्रतिशत रबी की फसल नष्ट हो चुकी है। खाद्यान के अभाव के कारण गरीब जनता अत्यन्त उत्पीड़ित है। जनता को आवश्यक खाद्यान उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकारी रास्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जो गेहूं जनता को वितरित किया जा रहा है वह ठीक नहीं है इससे जनता अनेकानेक बीमारियों से ग्रस्त हो रही है। इस ओर विशेष ध्यान देने की बात है। विगत कई वर्षों के लगातार देवी आपदाओं के कारण इन क्षेत्रों की जनता की हालत अत्यन्त शोचनीय हो गई है। रबी और खरीफ दोनों फसलों के नष्ट हो जाने से जनता की आर्थिक आय का साधन समाप्त हो गया है। ऐसे घोर संकट काल में भी किसानों से सरकारी देय भू-राजस्व, सिंचाई राजस्व तथा कृषि उन्नति सम्बन्धी कार्यों के लिये दिए गये ऋण की वसूली की जा रही है। इस प्रकार की सभी वसूलियां तत्काल बन्द होनी चाहियें।

जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज के अन्तर्गत गोमती नदी के "पिलक्लिष घाट" पर राजमार्ग न० 105 के क्रॉसिंग पर एक पुल का